

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

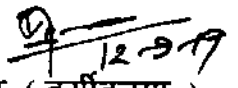
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1805 /2019 दिनांक :/2.09.2019

श्री परमवीर सिंह चौहान (RJ0312), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, प्रतापगढ़ को दिनांक 29.07.2019 से 10.08.2019 तक 13 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री चौहान की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, प्रतापगढ़ के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/16/2000/ 0605

दिनांक 12.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, प्रतापगढ़ को उनके पत्रांक 66 दिनांक 13.08.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री परमवीर सिंह चौहान (RJ0312), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, प्रतापगढ़ ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ ।


सहायक रजिस्ट्रार